29/05/24 आज वह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी नं. 2 की तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं आया अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाती है बाबत बहस अंतिम कार्यवाही दिनांक 31.5.24 को पेश हो।

31/5/24 आज वह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस सुनकर किया गया प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया गया बाद तामील निर्णय पत्रावली पूर्ण होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

लोकेन्द्र पाण्डेय
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 02/24 दायर दिनांक: 19.01.24
सीसीएमएस नं. 2024/04

विक्रमसिंह पुत्र श्री खुन्ना जाति जाट नि. महतौली, तह. भुसावर (भरतपुर) राज.

—प्रार्थी

बनाम

1.राज. सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर, जिला भरतपुर राज.
2.नारायणसिंह पुत्र फत्ते जाति जाट नि. महतौली, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता— 1.श्री शांतिस्वरूप शर्मा —प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार —अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 31.05.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 766 रकबा 0.19 हैक्टे. प्रार्थी व ख.नं. 761 0.17 हैक्टे. अप्रार्थी सं. 2 नारायनसिंह के नाम पूर्ण हिस्सा में खातेदारी का इन्द्राज है। उक्त खसरा नम्बरान का मूल खसरा नम्बर संवत 1955 के खाता संख्या 70 में बन्दोबस्त सादिक ख.नं. 315 व बन्दोबस्त हाल ख.नं. 487 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा एक ही खसरा नंबर था। मुककस्मिल मौजा महतौली में संवत 1985 में साबि ख.नं. 487 के नये ख.नं. 617 व 613 बने। परन्तु नक्शे में तरमीम सैटलमैन्ट द्वारा ख.नं. 613 को उत्तर दिशा की ओर व ख.नं. 617 को दक्षिण दिशा की ओर दर्ज करना चाहिए थे। लेकिन सैटलमैन्ट में ख.नं. 613 को पूर्व दिशा में व ख.नं. 617 को पश्चिम दिशा में दर्ज कर दिया है। जो कि कब्जे के आधार पर पूरी तरह से गलत अंकित किये गये हैं। जबकि वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा ख.नं. 613 उत्तर दिशा की ओर व ख.नं. 617 का दक्षिण दिशा की ओर काश्त करते चले आ रहे है।

खसरा टीप मौजा महतौली संवत 1997–98 में ख.नं. 613 व 617 को एक साथ सामिल लिखकर प्रदर्शित किया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सन 2010 लगायत 2030 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख.नं. 613 को नये हाल नये ख.नं. 761 व सादिक ख.नं. 617 के हाल नये ख.नं. 766 बनाये गये। उसमें भी सैटलमैन्ट ने पुरानी गलती दोहराई गई है। जबकि पूर्व से प्रार्थी का हिस्सा ख. नं. 766 दक्षिण दिशा की ओर है और अप्रार्थी सं. 2 नारायनसिंह का हिस्सा ख.नं. 761 तरफ उत्तर दिशा की ओर कब्जे के आधार पर काश्त करते चले आ रहे हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि ख.नं. 761 में तरफ उत्तर दिशा में व ख.नं. 766 को नक्शा में तरफ दक्षिण की ओर दुरूस्त कर अंकित किया जावें।

हमने प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक की गई। नोटिस की ताईद में अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/एल.आर./2024/646 दिनांक 14.02. 2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। तथा प्रतिवादी सं. 2 की वाद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट का भली–भाँति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम महतौली के आ.ख.नं. 761 को नक्शा में तरफ उत्तर दिशा एवं आ.ख.नं. 766 को नक्शा में तरफ दक्षिण की ओर दुरूस्त कर अंकित राजस्व रिकॉर्ड किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)